<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी अपील संख्या : **59/2018**

संदीप पुत्र रमेश, उम्र 33 वर्ष,
निवासी हरिजन बस्ती लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

-अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. एसीसी सीमेन्ट कम्पनीज सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी,
   मुख्यालय 121 महर्षि कर्वे रोड़ मुम्बई में स्थित है, जिसका एक कारखाना लाखेरी में सीमेन्ट वर्क्स के नाम से लाखेरी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है, जरिये डायरेक्टर प्लान्ट
2. बालकिशन नरवाल पुत्र सोभागमल
   निवासी महावीरपुरा लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)
4. नगर पालिका मण्डल लाखेरी जरिये अध्यक्ष जिला बून्दी (राज.)

-प्रत्यर्थीगण

<u>तत्कालीन सिविल न्यायाधीश लाखेरी, जिला बून्दी श्री विनीत कुमार द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 05/2013, सी.आई.एस. नम्बर 26/2014 बठनवान ए.सी.सी. सीमेन्ट कम्पनीज बनाम बालकिशन नरवाल व अन्य में दिनांक 02.06.2018 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील।</u>

उपस्थित-

1. श्री लीलाधर सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी,
2. श्री कमलेश शर्मा एवं श्री हरिनारायण मीना, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से।
3. श्री कपिल सैनी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-2,
4. श्री कमलेश त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-3 व 4

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांकः 25.03.2026</u>**

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 ने हस्तगत दीवानी अपील विद्वान सिविल न्यायाधीश लाखेरी, बून्दी द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 05/2013,

Authenticated Document

सी.आई.एस. संख्या 26/2014 बउनवान एसीसी सीमेन्ट कम्पनीज बनाम बालकिशन नरवाल व अन्य में पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादी ए.सी.सी.सीमेन्ट कम्पनीज का वाद विरुद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 व 2 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया था।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादी ए.सी.सी.सीमेन्ट कम्पनीज ने अपीलार्थी/प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश लाखेरी, जिला बून्दी में एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी कम्पनी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में लगभग 83 वर्षों से निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की अन्य भूमि के अतिरिक्त भूमि जमाबन्दी संख्या 20 के खसरा नम्बर 804 रकबा 0.45 हेक्टेयर महावीरपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में विस्थित है, जो खाली पड़ी हुई है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अवैधानिक रूप से जबरन ताकत एवं राजनैतिक प्रभाव से 70 गुणा 40 फुट भूमि पर नींव खोदकर निर्माण शुरू कर दिया है। दिनांक 13.05.2013 को वादी कम्पनी के अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से निर्माण रोकने का निवेदन किया तो उनके द्वारा उक्त गैर-कानूनी कृत्य को रोकने से मना किया, जिस बाबत वादी ने उक्त दिनांक को अवैध निर्माण के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवाई, यही वाद कारण है। राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से सांठ-गांठ कर रखी है, जो उन्हें अवैध निर्माण बनाने का श्रेय दे रही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी कम्पनी की भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को तुरन्त रुकवाने एवं किये गए अवैध निर्माण को हटवाए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त वाद का पृथक-पृथक प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया कि खाता संख्या 20 से खसरा नंबर 804 रकबा 0.45 हेक्टेयर महावीरपुरा लाखेरी की भूमि खाली नहीं है अपितु मकान बने हुये है तथा इस पर वादी कम्पनी का कब्जा नहीं रहा है, बल्कि वहां पर बस्ती बसी हुई है। उक्त भूमि 50-60 वर्ष पहले से मथुरालाल के कब्जे में थी,

Authenticated Document

बाद में इसके पुत्र रमेश के कब्जे में चली आ रही है, जिस पर रमेश व उसका परिवार सुअर पालन का कार्य करते थे, जिसकी नींव पुराने समय की भरी हुई है। वादी द्वारा रमेश को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद वर्णित भूखण्ड की चतुर्सीमा भी अंकित नहीं की गई है। वाद वर्णित भूखण्ड के पूर्व में खाली जगह, उसके पश्चात् नगर पालिका पटान पीछे की तरफ देवलाल व नाथूलाल के पक्के मकान, पश्चिम में शोभागमल का मकान, पश्चात् कल्याण, झण्डू, बृजमोहन व प्रहलाद के पक्के मकानात बने हैं, उत्तर में आम रोड़, दक्षिण में रमेश का मकान पश्चात् चन्द्रप्रकाश बाबूलाल, कन्हैयालाल, रामस्वरूप के मकानात बने हुए हैं। भूखण्ड के तीनों ओर मकान बने हुए हैं। रमेश ने वर्ष 1998 में कच्ची बस्ती अतिक्रमण नियमन का प्रार्थना पत्र नगर पालिका लाखेरी में प्रस्तुत किया था। वर्ष 2002 में रमेश द्वारा 55/-रुपये बतौर फीस जमा करवा रखे हैं। रमेश ने वर्ष 2012 में उक्त भूखण्ड पर नींव भरवाई तथा बाउण्ड्री का काम भी करवाया था। वाद कारण 50-60 वर्ष पूर्व ही मथुरालाल द्वारा उक्त भूखण्ड के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा कब्जा करने से आरम्भ हो गया था, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र रमेश का कब्जा है। वाद वर्णित भूमि पर रमेश का भूखण्ड खाली है, जिसे रमेश व परिवार वाले उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादी ने आज तक रमेश के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं किया है। वाद वर्णित भूमि पर रमेश का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा है, जो मुखालफाना के आधार पर वाद वर्णित भूखण्ड का स्वामी हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वाद वर्णित भूखण्ड पर कब्जा नहीं किया गया है, उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना गैर-वाजिब व अवैधानिक है। अन्य आक्षेप में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने कथन किया है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा न होकर रमेश का कब्जा 50-60 वर्षों से अनवरत चला आ रहा है, जिसे वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद कारण 50-60 वर्ष पहले ही आरम्भ हो गया था, जबकि वादी ने वाद 2013 में पेश किया है। वाद वर्णित भूखण्ड एवं उसकी चतुर्सीमा सही अंकित नहीं की गई है। वाद पत्र वास्तविक व्यक्ति के विरुद्ध न करके स्ट्रेनजर व्यक्ति के विरुद्ध किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से उक्त वाद का कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उनके विरूद्ध दिनांक 20.02.2018 को

Authenticated Document

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः-

(1) आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के खसरा नम्बर 804 की भूमि में से 70 गुणा 40 फुट भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है ?

-वादी

(2) आया विवादित भूखण्ड से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं है। अतः उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है ?

-प्रतिवादीगण

(3) आया खसरा नंबर 804 खाली न होकर उसमें बस्ती बसी हुई है व इस प्रकार उक्त खसरा नंबर की भूमि वादी के कब्जे में नहीं है तथा कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है?

-प्रतिवादीगण

(4) अनुतोष?

6. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू.1 शरद कुमार, पीडब्ल्यू.2 कैप्टन दिलीप कुमार यादव को परीक्षित करवाया व प्रलेखीय साक्ष्य में ऑथोराइजेशन लेटर प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श 4, जमाबंदी प्रदर्श 5, मौका फर्द प्रदर्श 6 को प्रदर्शित करवाया।

7. प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 संदीप, डी.डब्ल्यू.2 राधेश्याम, डी.डब्ल्यू.3 चौथमल, डी.डब्ल्यू.4 पूनमचंद, डी.डब्ल्यू.5 मोहनलाल को परीक्षित करवाया एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। वहीं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

8. कालान्तर में विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है किः-

Authenticated Document

(1) विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2018 वस्तुस्थिति एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों व विधि के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

(2) जिस कृषि भूमि खसरा संख्या 804 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/ वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया, वह कृषि भूमि है, जिसके सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व 92ए में स्पेशल विधि बनी हुई है। इस कारण उक्त वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधि द्वारा वर्जित था, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य की अवहेलना की है।

(3) विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से वादी के रूप में उक्त वाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष तत्कालीन डायरेक्टर प्लान्ट हेड उमेश प्रताप के द्वारा पेश किया गया था लेकिन उक्त वाद के समर्थन में स्वयं वादी उमेश प्रताप न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए और न ही गवाह के रूप में उपस्थित हुए। इस कारण वादी के वाद का समर्थन स्वयं वादी के द्वारा नहीं किया गया और न ही वाद के तथ्यों को प्रमाणित किया गया है। इसी प्रकार स्वयं वादी उमेश प्रताप द्वारा उक्त एसीसी कम्पनी की ओर से मुख्तारआम की हैसियत से उक्त वाद विद्वान विचारण न्यायालय में पेश किया था तो उसको अन्य व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि स्वयं स्वामी ही इस हेतु अधिकृत कर सकता है। एक मुख्तारआम न्यायालय की कार्यवाहियों में वाद के समर्थन में साक्ष्य देने हेतु अधिकृत करने में कानून सशक्त नहीं है।

(4) अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि उसका उक्त वर्णित भूखण्ड से कोई लेनादेना नहीं है, उक्त भूखण्ड रमेश कुमार का है, जिसने उस पर सन् 2012 में बाउण्ड्री करवाई है एवं नगर पालिका लाखेरी में उक्त भूखण्ड पर पट्टा नियमन हेतु सन् 2002 में 55/-रुपये फीस अदा कर फाइल जमा करवा रखी है, जिसके दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद हैं।

(5) विवाद्यक संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में

Authenticated Document

किसी भी गवाह का यह कथन नहीं रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अतिक्रमण कर निर्माण किया है। अपीलार्थी ने स्वयं अपने जवाबदावे में एवं विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाह डी.डब्ल्यू.1 से डी.डब्ल्यू.5 तक अपनी साक्ष्य में प्रथमदृष्ट्या यह प्रमाणित किया है कि उक्त भूखण्ड अपीलार्थी संदीप का नहीं है, बल्कि उक्त भूखण्ड रमेश कुमार पुत्र मथुरालाल का है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक बिना साबित किये, निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2018 पारित की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

(6) विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के जिम्मे था। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों में स्पष्ट रूप से आया है कि वादी की भूमि पर बस्ती एवं मकान बने हुए हैं। गवाह पी.ड.1 शरद कुमार की जिरह के तीसरे पेज की सातवीं लाइन में यह अंकित करवाया है कि वह विवादित स्थल को देखने आज तक नहीं गया, पर इतना पता है कि वहां पर बस्ती है। पी.ड.2 ने अपनी जिरह के पेज नं. 2 पर यह स्वीकार किया है कि विवादित स्थल के आसपास मकान बने हुए हैं। इस बिंदु को प्रतिवादी के द्वारा किसी साक्ष्य या दस्तावेज से प्रमाणित करने का कोई औचित्य नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी स्वयं व अपने गवाहान की साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि भूमि खसरा संख्या 804 पर बस्ती बसी हुई है एवं कई सारे मकान बने हुए हैं एवं मकानों के पट्टे भी जारी हो रहे हैं। सम्पूर्ण बस्ती में रोड़, नाली, लाइट, नल आदि बने हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा रोड़ों का निर्माण करवाकर उक्त बस्ती की देखरेख की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक बिना साबित किये निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2018 पारित की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

(7) वादी ने वाद में विद्वान विचारण न्यायालय से केवल स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था, मांगे गये अनुतोष से बढ़कर आदेशात्मक आज्ञा के अनुतोष को भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनी ओर से प्रदान कर दिया। अपीलार्थी ने जवाब दावा में अतिक्रमण नहीं करना एवं रमेश के द्वारा उसके भूखण्ड पर उसी के द्वारा निर्माण करना अंकित किया, फिर भी उसे न तो पक्षकार बनाया, न ही वादी को आदेश दिया, बल्कि मनमाने रूप से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 का उक्त भूखण्ड से कोई लेनादेना नहीं होते हुए भी निर्णय

Authenticated Document

व डिक्री दिनांक 02.06.2018 पारित की, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अन्त में अपीलार्थी/प्रतिवादी की उक्त अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील याचिका के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस कृषि भूमि खसरा संख्या 804 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/ वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया था, वह कृषि भूमि है तथा उसके सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व 92 ए में स्पेशल विधि बनी हुई है, इस कारण धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित था किन्तु इसके बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य की अवहेलना की है।

12. आगे उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद तत्कालीन डायरेक्टर प्लान्ट हेड उमेश प्रताप के द्वारा प्रस्तुत किया गया था किन्तु वाद के समर्थन में स्वयं वादी उमेश प्रताप विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुये हैं। स्वयं वादी उमेश प्रताप ने एसीसी कम्पनी की ओर से मुख्तारआम की हैसियत से उक्त वाद विद्वान विचारण न्यायालय में पेश किया था, तो उसको अन्य व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि स्वयं स्वामी ही इस हेतु अधिकृत कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि उसका उक्त वर्णित भूखण्ड से कोई लेनादेना नहीं है, उक्त भूखण्ड रमेश कुमार का है। साक्ष्य में किसी भी गवाह का यह कथन नहीं रहा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अतिक्रमण कर निर्माण किया है। विवादित स्थल के आसपास मकान बने होने के बिन्दु को प्रतिवादी के द्वारा किसी साक्ष्य या दस्तावेज से प्रमाणित करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसने अपनी एवं साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि भूमि खसरा संख्या 804 पर बस्ती बसी हुई है एवं कई

Authenticated Document

सारे मकान बने हुए हैं एवं मकानों के पट्टे भी जारी हो रहे हैं। अपीलार्थी ने जवाब दावे में अतिक्रमण नहीं करना एवं रमेश के द्वारा उसके भूखण्ड पर उसी के द्वारा निर्माण करना अंकित किया, फिर भी उसे न तो पक्षकार बनाया है और न ही वादी को आदेश दिया। अन्त में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

13. इसके विपरीत प्रत्यर्थी/वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित निर्णय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के तार्किक विश्लेषण पर आधारित बताते हुये आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होने एवं तद्नुसार हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

14. उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

15. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 02.06.2018 पारित कर प्रत्यर्थी/वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किये जाने में कोई तथ्यात्मक या कानूनी भूल की है?"

16. उक्त सम्बन्ध में अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी/वादी के स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील याचिका में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से लिये गये आधारों के सन्दर्भ में अवलोकन करने पर मुख्य रूप से उनका यह आधार रहा है कि जिस भूमि खसरा संख्या 804 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया था, वह कृषि भूमि है तथा उसके सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व 92ए में स्पेशल विधि बनी हुई है, इस कारण धारा 207 राजस्थान काश्तकारी

Authenticated Document

अधिनियम के तहत उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित था, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य की अवहेलना की है तो इस सम्बन्ध में अवलोकन से यह स्पष्ट रहा है कि प्रत्यर्थी/वादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.-1 शरद सिंह एवं पी.डब्ल्यू.-2 दिलीप कुमार यादव को परीक्षित करवाते हुये नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2 एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श-3 को भी प्रदर्शित करवाया गया है, जिनके अवलोकन से वादग्रस्त खसरा संख्या 804 रकबा 0.45 हैक्टेयर को ए.सी.सी. की खातेदारी की भूमि होना दर्शित होता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य को देखा जाये तो अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 संदीप साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रत्यर्थी/वादी के वाद पत्र के अभिवचन की चरण संख्या-3 में अंकित वादग्रस्त भूमि का स्वामी प्रत्यर्थी/वादी को होना स्वीकार किया है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड प्रत्यर्थी/वादी ए.सी.सी.कम्पनी के स्वामित्व का होने का जो निष्कर्ष धारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता होना प्रतीत नहीं होता है किन्तु जहां तक वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 804 कृषि भूमि होकर उसके सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व 92ए में स्पेशल विधि बनी होने से धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ना तो अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में अपने जवाब दावे में कोई अभिवचन किया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई विवाद्यक ही कायम हुआ है तथा अब अपील के स्तर पर इसे तर्क के रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई विधिक स्थिति प्रकट नहीं की गई है, जिसके आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय आक्षेपित निर्णय पारित करने से विधिक रूप से वर्जित था, ऐसे में अपील के स्तर पर लिये गये विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 के इस तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

17. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 का यह भी तर्क रहा है कि हस्तगत वाद तत्कालीन डायरेक्टर प्लान्ट हेड उमेश प्रताप के द्वारा

Authenticated Document

प्रस्तुत किया गया था किन्तु वाद के समर्थन में स्वयं वादी उमेश प्रताप विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, इसलिए वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। अन्य व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु अधिकृत करने का उसे कोई अधिकार नहीं था तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद वादी कम्पनी के डायरेक्टर उमेश प्रताप की ओर से प्रस्तुत किया गया है तथा वादी कम्पनी की ओर से पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर है, जिन्होंने वादी कम्पनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु शरद सिंह पी.डब्ल्यू-1 को अधिकृत किया है, जिनका ऑथोराईजेशन लेटर प्रदर्श-1 एवं पॉवर आफ अटोर्नी प्रदर्श-4 को भी प्रदर्शित करवाया गया है। यद्यपि प्रदर्श-1 किसी स्टाम्प पर नहीं है किन्तु कम्पनी के लेटर पेड पर होना भी साक्ष्य से प्रकट हुआ है। यद्यपि यह सही है कि प्रदर्श-4 पावर ऑफ अर्टोनी के माध्यम से वाद के सम्बन्ध में उमेश प्रताप को अधिकृत किया गया है, जबकि उक्त वाद के सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-1 शरद सिंह परीक्षित हुआ है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने उसकी साक्ष्य लेखबद्ध किये जाते समय अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2017 को पी.डब्ल्यू-1 शरद एवं पी.डब्ल्यू-2 दिलीप कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए उनसे प्रतिपरीक्षा पूर्ण हुई है तथा साक्ष्य लेखबद्ध करते समय अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ऐसी कोई आपत्ति नहीं रही है तथा उनकी सहमति से उक्त साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, क्योंकि यदि उनकी सहमति से उक्त साक्षी शरद की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जाती तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा आपत्ति ली जाती, किन्तु चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में अपील के इस स्तर पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से न तो कोई आपत्ति ली जा सकती है और न ही ऐसी कोई आपत्ति कोई महत्व रखती है तथा इस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद के लिये प्राधिकृत होना मानने में भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया

Authenticated Document

जाना परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के इस तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

18. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 ने अपनी अपील याचिका के माध्यम से यह भी एक आधार लिया है कि उसका उक्त वर्णित भूखण्ड से कोई लेनादेना नहीं है, उक्त भूखण्ड रमेश कुमार का है। विवादित स्थल के आसपास मकान बने होने के बिन्दु को प्रतिवादी के द्वारा किसी साक्ष्य या दस्तावेज से प्रमाणित करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसने अपनी एवं साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि भूमि खसरा संख्या 804 पर बस्ती बसी हुई है एवं कई सारे मकान बने हुए हैं एवं मकानों के पट्टे भी जारी हो रहे हैं। अपीलार्थी ने जवाब दावे में अतिक्रमण नहीं करना एवं रमेश के द्वारा उसके भूखण्ड पर उसी के द्वारा निर्माण करना अंकित किया, फिर भी उसे न तो पक्षकार बनाया है और न ही वादी को आदेश दिया तो इस सम्बन्ध में सम्बद्ध साक्ष्य एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि ए.सी.सी. कम्पनी के स्वामित्व की भूमि रही है। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह कथन अवश्य किया है कि वादग्रस्त भूमि पर बस्ती बसी हुई है तथा वहां खाली भूमि नहीं है तथा वहां पट्टे भी जारी किये हुये है किन्तु अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई पट्टा प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, ऐसे में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 का वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जा नहीं होने का विद्वान विचारण न्यायालय ने जो अभिमत प्रकट किया है, वह भी उपलब्ध साक्ष्य के तार्किक विश्लेषण से पूर्णतः सटीक एवं समीचीन जान पड़ता है। जहां तक मौके पर निर्माण किये जाने का प्रश्न है तो साक्षीगण ने मौके पर निर्माण किया जाना अवश्य अभिकथित किया है किन्तु उक्त निर्माण मथुरालाल एवं रमेश द्वारा किया जाना, जो अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 के दादा एवं पिता होना, भी बताया है, ऐसे में साक्ष्य की प्रकट हुई स्थिति के आधार पर मौके पर निर्माण होना तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 का उक्त भूमि पर निवास करना एवं वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी/वादी कम्पनी की होना भी प्रमाणित रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर उपलब्ध फर्द मौका प्रदर्श-6 के अवलोकन से

Authenticated Document

यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 04.07.2013 को पटवारी लाखेरी द्वारा तहसीलदार के आदेश की अनुपालना में खसरा संख्या 804 रकबा 0.45 हैक्टेयर ग्राम लाखेरी के बनाये गये मौके में भी उक्त विवादित भूमि ए.सी.सी. फैक्ट्री की खातेदारी की होना अंकित है, जिसमें पश्चिम की ओर लगभग 03 फिट पक्का निर्माण तथा शेष हिस्से पर कच्ची ईंटों की चुनाई हो रही होना तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या-2 के पिता रमेश का उपस्थित होना और फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से मना करना स्पष्टतः अंकित रहा है तथा प्रतिवादी संख्या-1 बालकिशन का मौके पर उपस्थित नहीं होना भी अंकित रहा है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के स्वामित्व की भूमि पर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने का निष्कर्ष धारित किये जाने में भी किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

19. जहां तक प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने एवं एवं मौके पर बस्ती होने के तर्क का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या-2 व 3 के क्रम में विवेचन करते हुये यह निष्कर्ष धारित किया है कि प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या-2 का अपने परिवार सहित रहना व पशुपालन करना इस बात की उपधारणा का पर्याप्त आधार रहा है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा ही अवैध रूप से निर्माण किया गया है। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि मौके पर बस्ती बसी हुई है, उसके सम्बन्ध में ना तो कोई पट्टा प्रदर्शित करवाया गया है और ना ही कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने एवं मौके पर बस्ती होने के तर्क भी सारहीन हो जाते हैं।

20. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को समग्र रूप से विवेचित करते हुये हस्तगत वाद के सन्दर्भ में अवधारित निष्कर्ष में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना

Authenticated Document

परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में उनके समक्ष प्रस्तुत हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विधिसम्मत रूप से विवेचित किया गया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से जो आधार अपील याचिका में उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता, अनियमितता एवं अनुचितता होना परिलक्षित नहीं होता है तथा इस आधार पर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना भी विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि अपील के साथ अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 12.07.2018 को फर्द दस्तावेज के साथ कुछ दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु उनके सम्बन्ध में मात्र यही उल्लेख करना पर्याप्त रहेगा कि चूंकि इन दस्तावेजात को अपील के स्तर पर अभिलेख पर लेने हेतु कभी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और ऐसे प्रार्थना पत्र के अभाव में ये दस्तावेजात अभिलेख पर नहीं आ सके हैं। अतः इनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया जाना या उन पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

21. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय पूर्णतः सटीक, सुदृढ़ व सकारात्मक होकर तथ्यों व विधि के अनुकूल है, जो विधि की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं होने से अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की यह अपील सारहीन व निराधार होने से अस्वीकार्य है।

<u>आ दे श</u>

22. अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत दीवानी अपील अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा दीवानी वाद संख्या 05/2013, सी.आई.एस. नम्बर 26/2014 बउनवान ए.सी.सी.सीमेन्ट कम्पनीज, लाखेरी बनाम बालकिशन नरवाल व अन्य में पारित किये गये आक्षेपित निर्णय एवं

Authenticated Document

डिक्री दिनांक 02.06.2018 की पुष्टि की जाती है। पर्चा डिक्री नियमानुसार तैयार किया जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

23. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

24. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

THAKUR SINGH

"Authenticate Document"
Digitally signed by THAKUR SINGH
Date: 2026.03.25 17:27:18 +0530

Authenticated Document